उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या-04/2017/सीपी 06/84-2-2017-सीपी 9/2015
लखनऊ : दिनांक : 20 जनवरी, 2017
कार्यालय ज्ञाप

श्री सैयद फरीउदद्दीन अशरफ पुत्र स्व0 श्री एस0क्यू0 अशरफ, प्रिन्सपल जज, फैमली कोर्ट (सेवानिवृत्त), 4/627, विजयन्त खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ की नियुक्ति शासन की अधिसूचना संख्या-14/2016/सीपी 683/84-2-2015-सीपी 9/2015, दिनांक 13 जून, 2016 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, बलिया में अध्यक्ष (पूर्णकालिक) के पद पर की गयी थी।

2. निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-6750/एससीडीआरसी /अधि 26/16, दिनांक 24 नवम्बर, 2016 में अवगत कराया गया कि श्री सैयद फरीउदद्दीन अशरफ की नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिसूचना दिनांक 08 नवम्बर, 2016 द्वारा विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर हो जाने के कारण उनके द्वारा जिला फोरम, बलिया के अध्यक्ष के पद से दिनांक 21.11.2016 के अपरान्ह से त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. अत: निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ ने श्री सैयद फरीउदद्दीन अशरफ पुत्र स्व0 श्री एस0क्यू0 अशरफ, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बलिया का त्यागपत्र दिनांक 21 नवम्बर, 2016 के अपरान्ह से स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

4. अस्तु श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त जिला उपभोक्ता फोरम, बलिया के अध्यक्ष (पूर्णकालिक) पद से श्री सैयद फरीउदद्दीन अशरफ पुत्र स्व0 श्री एस0क्यू0 अशरफ, प्रिन्सपल जज, फैमली कोर्ट (सेवानिवृत्त), 4/627, विजयन्त खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा दिये गये त्यागपत्र को दिनांक 21 नवम्बर, 2016 के अपरान्ह से स्वीकार करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कुमार अरविन्द सिंह देव
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, विक्रान्तखण्ड-1,गोमतीनगर, लखनऊ ।
(2) जिलाधिकारी, बलिया।
(3) कोषाधिकारी, बलिया।
(4) कार्यालय जिला उपभोक्ता फोरम, बलिया (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
(5) श्री सैयद फरीउदद्दीन अशरफ पुत्र स्व0 श्री एस0क्यू0 अशरफ, प्रिन्सपल जज, फैमली कोर्ट (सेवानिवृत्त), 4/627, विजयन्त खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
(6) गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

प्रेम शंकर राय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in